राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/DO/2019/93-VC

सुनवाई की तिथि – 23.10.2019

***

श्री महेश पुत्र श्री देवीचरण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 23.10.2019. समय 12:00 बजे सुनवाई नियत की गयी | उक्त सम्बन्ध में आयोग द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ, परिक्षेत्र, मेरठ, अपर पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ, जिलाधिकारी, गाजियाबाद, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु अपेक्षित किया गया |

पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ, परिक्षेत्र, मेरठ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा व्यक्तिगत अनुपस्थिति से अवमुक्त का अनुरोध करते हुए श्री राजकुमार पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक, लोनी जनपद गाजियाबाद को, जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा श्री संजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को मा0 आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया तथा अपर पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ बिना सूचित किये अनुपस्थित रहे | आवेदक श्री महेश कुमार का पक्ष रखने के लिए श्री महेश कुमार श्री प्रमोद कुमार के साथ स्वयं उपस्थित हुए |

सुनवाई के दौरान उपस्थित :-

वादी :-

1. श्री महेश कुमार
2. श्री प्रगोद कुगार

प्रतिवादी

1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
2. श्री राजकुमार पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक, लोनी जनपद गाजियाबाद
3. श्री संजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

संलग्न :-

1. श्री महेश कुमार द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र एवं संलग्नपत्र आदि |
2. जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद की प्रेषित आख्या |

आरोप :-

संलग्न प्रार्थना पत्र में आवेदक श्री महेश कुमार पुत्र श्री देवी चरण निवासी आदित्य अर्बन कासा, एच-203, सेक्टर 78, नॉएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म मैसर्स महेश बिल्डर्स के नाम से बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई का कार्य करता है | आवेदक ने अपनी फर्म के माध्यम से जयकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्थित दुकान नंबर 34, 35 व 36 त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स ईश्वर नगर बाहापुर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-65 को वर्ष 2012-13 बिल्डिंग मटेरियल की आपूर्ति की थी | जिसकी कीमत अंकन ₹43,30,000/- थी | जयकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर जितेंद्र मित्तल मोबाइल नंबर 8130460033 (डायरेक्टर), उमेश मिश्रा मोबाइल नंबर 9958120000 (कम्पनी प्रेसिडेंट), एन.डी. अग्रवाल मोबाइल नंबर 9958240009 (लीगल एडवाइजर) के साथ आपूर्ति किये गए बिल्डिंग मैटीरियल के भुगतान के संबंध में आवेदक की मीटिंग हुई जिसमें जितेंद्र मित्तल, उमेश मिश्रा व एन.डी. अग्रवाल ने आवेदक के समक्ष प्रस्ताव रखा कि ड्रीमलैंड बिल्डर्स स्थित ग्राम डुंडाहेडा, प्लॉट नंबर जी.एच. -6, क्रॉसिंग रिपब्लिक, एन .एच. 24, जिला गाजियाबाद में निर्मित 2090 वर्ग फीट के 12वे तल पर स्थित फ्लैट संख्या 1212 का विक्रय आवेदक को, आवेदक द्वारा पूर्व में बिल्डिंग मैटीरियल की आपूर्ति की धनराशि अंकन 43,30,000/- रूपये की एवज में करना चाहते हैं । साथ ही उपरोक्त लोगों ने बताया कि उपरोक्त फ्लैट जितेंद्र मित्तल के नाम पर है परंतु समस्त धन राशि का भुगतान जयकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है | आवेदक द्वारा उपरोक्त लोगों के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी जिसके सम्बन्ध में आवेदक व जितेंद्र मित्तल के मध्य एक एम.ओ.यू. दिनांकित 04.06.2014 को हस्ताक्षरित एवं नोटरी हुआ जिसके अनुसार जितेंद्र मित्तल को उपरोक्त फ्लैट के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए लोन के समस्त किश्त दिनांक 15.09.2014 तक चुकानी थी । आवेदक की फर्म द्वारा आपूर्ति किए गए सामान की धनराशि अंकन 43,30,000/- रूपये उक्त फ्लैट के विक्रय मूल्य 43,30,000/-रूपये में समायोजित किया जाना था अर्थात आवेदक को फ्लैट के विक्रय मूल्य अंकन 43,30,000/-रूपये के लिए कोई धनराशि अदा नहीं करनी थी | चूंकि क्रेता के पास पहले से ही आवेदक के 43,30,000/-रूपये पहुंच चुके थे | इसके अतिरिक्त जितेंद्र मित्तल द्वारा फ्लैट के पजेशन के समय दी जानी शेष 5% की धनराशि भी अदा करनी थी । उपरोक्त एम. ओ. यू. के अनुसार दिनांक 31. 10. 2014 तक जितेंद्र मित्तल द्वारा आवेदक के हक में उपरोक्त फ्लैट की रजिस्ट्री व पजेशन दिया जाना था | जितेन्द्र मित्तल द्वारा दिनांक 31. 10. 2014 तक आवेदक के हक़ में न तो रजिस्ट्री की गयी और न ही पजेशन दिया गया | जितेंद्र मित्तल द्वारा मई 2015 में आवेदक को कहा कि उपरोक्त फ्लैट के संबंध में कुछ धनराशि की आवश्यकता है इसलिए आवेदक 18 लाख रुपए जितेन्द्र मित्तल को दे दे । जितेंद्र मित्तल जल्दी ही फ्लैट की रजिस्ट्री और पजेशन आवेदक को दे देगा और आवेदक

से ली गई उपरोक्त धनराशि अंकन 18,00,000/- रूपये को जल्द ही वापस कर देगा । आवेदक ने जितेंद्र मित्तल के आश्वासन पर विश्वास करते हुए दिनांक 15.05.2015 को अंकन 18,00,000/- रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जितेंद्र मित्तल को दे दिए | आवेदक उपरोक्त लोगों से लगातार उपरोक्त फ्लैट की रजिस्ट्री व पजेशन के लिए मांग करता रहा परंतु उपरोक्त लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर समय की मांग करते रहे | आवेदक हाई शुगर का मरीज जिसे सुबह व शाम इन्शुलिन लेनी पड़ती है तथा डॉक्टर द्वारा तनाव ना लेने के लिए परामर्श दिया गया है | आवेदक द्वारा अपने जीवन भर की कमाई उपरोक्त लोगों को फ्लैट के एवज में दे दी गई है परंतु आवेदक कों ना तो फ्लैट ही मिल पाया है और ना ही उसकी धनराशि मिल पाई हैं | उपरोक्त लोग आवेदक को धमकी दे रहे हैं अब अगर तुमने फ्लैट या पैसा मांगे तो तुझे जान से मार देंगे व तेरे बच्चों का अपहरण करके हत्या कर देंगे और हमारी शासन में प्रशासन में बहुत ऊंची पहुंच है तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू फ्लैट को भूल जा आदि कतिपय आरोप अंकित किये हैं |

सुनवाई / जाँच का विवरण :-

<u>श्री संजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा :-</u>

संजय कुमार, विशेष कार्य अधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया की प्रस्तुत शिकायत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से संबंधित नहीं है, जिस कारण प्राधिकरण स्तर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल की जानी संभव नहीं है |

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या :-</u>

श्री महेश सिंह पुत्र श्री देवी चरण सिंह, निवासी आदित्य अर्बन कासा, एच -203, सेक्टर 78, नोएडा, गाजियाबाद मोबाइल नंबर 9818821703 द्वारा बताया गया कि मेरी प्रोपराइटरशिप फर्म मैसर्स महेश बिल्डर्स के नाम से सेक्टर 142, नोएडा में स्टॉक यार्ड था, जो मेरे उपरोक्त निवास स्थान पर है । मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे द्वारा अपनी फर्म के माध्यम से जयकान इन्फ्राट्रक्चर लिमिटेड स्थित दुकान नंबर 34, 35 व 36 त्रिभुवन कंपलेक्स ईश्वर नगर बहापुर, मथुरा रोड, नई दिल्ली 65 को वर्ष 2012 - 13 में बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई किया गया था । जिसकी कुल कीमत लगभग 43,00,000/- रुपए थी । जयकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर जितेंद्र मित्तल मोबाइल नंबर 81 3046 0033, उमेश मिश्रा मोबाइल नंबर 9958 1200 00 आदि के साथ भुगतान का पैसे देने की बात कही गई तो इनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास अभी पैसा तो नहीं है, लेकिन आप हमारे ड्रीमलैंड प्रोजेक्ट, जो कि डूंडाहेड़ा में चल रहा है । उसमें आप फ्लैट ले सकते हो । इस बात के बाद फ्लैट नंबर 1212 साइज 2090 वर्ग फिट स्थित 12 वे तल की बात तय हुई । इसके अतिरिक्त जितेंद्र मित्तल द्वारा यह भी बताया गया कि मेरे इस फ्लैट पर लोन ले रखा है । अगर आप सहमत हो तो मैं इस फ्लैट को आपके नाम एग्रीमेंट कर देता हूं । 03 वर्ष बाद इसका पजेशन होगा तब बैंक का लोन क्लियर कर हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे । आपको अपने 43,30,000/- के

अलावा कोई राशि नहीं देनी है । इस समस्त बातों का हम दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 27.05.2012 को एग्रीमेंट हुआ । उसके कुछ दिनों बाद उस एग्रीमेंट के समय पर जितेंद्र मित्तल द्वारा पालन न करने के कारण इससे संबंधित एक एग्रीमेंट पुन: दिनांक 04.06.2014 में हुआ, परंतु इसका भी पालन नहीं किया गया तथा मुझसे कुछ दिनों बाद जितेंद्र द्वारा यह कहा गया कि अब आपको फ्लैट दे रहे हैं आप हमको 18,00,000/- रुपए दे दे । इसकी बातों में आकर मेरे द्वारा 18,00,000/- रुपए भी बैंक के माध्यम से दे दिए गए, बैंक स्टेटमेंट संलग्न है । इसके बाद मैं इसके पास पुनः फ्लैट लेने गया तो इसने हमको पुन तीसरा एग्रीमेंट दिनांक :22.05.209 को दिया गया । कुछ दिनों बाद मुझे जानकारी हुई कि इस फ्लैट को जितेंद्र मित्तल, मिश्रा द्वारा मिलकर किसी और को ज्यादा पैसों में भेज दिया गया है । जबकि इनका मेरे से लगातार एग्रीमेंट चल रहा था और यह मुझसे भी बारर योजना बनाकर पैसे हो रहे थे । बा-महोदय इस जानकारी के बाद मैं जब इसके कार्यालय गया तो वहां इनके द्वारा मुझसे दुर्व्यवहार किया गया और धमकी दी कि यदि तेरे में दम है तो तू फ्लैट लेकर दिखा दे । मेरे द्वारा कहा गया कि यदि फ्लैट नहीं दे सकते हो तो मेरे पैसे वापस कर दो इनके द्वारा मुझे अपने बाउंसरो से धक्कामुक्की कर भगा दिया और धमकी दी कि यदि यहां - दिखाई दिया तो जान से मार देंगे । महोदय इन लोगों द्वारा न तो मेरा फ्लैट दिया गया और नहीं पैसा । आपसे अनुरोध है कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें यही मेरा बयान है ।

उक्त अंकित आरोपों के संबंध में विपक्षी श्री जितेंद्र मित्तल पुत्र श्री आर एल मित्तल निवासी जीके - :, सी - 01, ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली मोबाइल नंबर 8130460033 द्वारा बताया गया कि मैं जयकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में डायरेक्टर हूं तथा मेरी यह कंपनी कांट्रेक्टर का कार्य करती है । महेश द्वारा मुझे जो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई करता था । इसका मेरे साथ लगभग 10 वर्षों से कार्य चल रहा था । यह हमें मटेरियल देता था और हम इसको इसका पैसा देते थे । महोदय वर्ष 2011 में मैं ड्रीमलैंड प्रमोटर्स क्रॉसिंग रिपब्लिक में कार्य कर रहा था । उस पर कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा था तो ड्रीमलैंड वालों को कुछ पैसा हमें देना था ड्रीमलैंड के मालिक पवन बढ़ाना द्वारा हमसे कहा गया कि आप हमारे 04 फ्लैट ले लीजिए । इसी दौरान में यह भी बताना चाहता हूं कि महेश बिल्डर द्वारा जो हमें मैटेरियल सप्लाई किया गया था उसका पैसा 43,30,000/- रुपए था । हमने व महेश के मध्य उक्त फ्लैट में से एक फ्लैट के लिए यह सहमति हुई कि उक्त 4 फ्लैटों में से एक फ्लैट महेश ले ले और उसका दिया जाने वाला पैसा उसमें एडजेस्ट करवा दिया जाएगा। महेश सहमत हो गए और हमारे व महेश के बीच एक एग्रीमेंट जुलाई 2012 में हुआ । जिसको महेश द्वारा अपने हस्ताक्षर कर उसको स्वयं कैंसिल करा दिया । उसके बाद हमारा दूसरा एग्रीमेंट पुन इसी फ्लैट संख्या :1211 ब्लॉक 12 फ्लोर 12 के संबंध में हुआ । उसमें हम दोनों के मध्य एमओयू बना था । जिसके द्वारा यह फ्लैट महेश के नाम कर दिया गया । महोदय यहां अवगत कराना चाहता हूं कि हम दोनों के मध्य हुआ वर्ष 2014 के एग्रीमेंट में अंकित बिंदु संख्या 07 में चेंज कर 02 पार्टी को 01 पार्टी कर 2019 में अंकित कर दिया है । जिसमें यह उल्लेख या फिर अगर कोई भी मांग बिल्डर के द्वारा की जाती है किसी भी खाते से) तो उसका भुगतान (रिलेटेड द्वितीय पक्ष महेश करेगा)2014 वाले में(, जबकि 2019 के एग्रीमेंट में इसने इसका

उल्टा कर दिया तथा इसने अपने हिसाब से 2014 के एग्रीमेंट में फेरबदल अपने हिसाब से 2019 में एग्रीमेंट बना लिया गया । जिस पर जितेंद्र मित्तल के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि इसके द्वारा स्वयं सेटिंग करके एग्रीमेंट के आगे के पेज हटाकर पीछे वाला अंतिम पृष्ठ पुराना बने रहने दिया है । यहां तक इसके द्वारा ₹18,00,000 रूपये वर्ष 2015 में देना बताया गया है । इस संबंध में हमें यह बताना है कि वर्ष 2015 के बाद हमने इसको खुद पूर्व में दिए गए मटेरियल के हिसाब से ₹25 लाख रुपए दिए गए थे । जिसकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं । महोदय हमने भी स्वयं पवन बढ़ाना के खिलाफ अपने हस्ताक्षर में एक शिकायत लिखकर महेश को दी गई थी । जिसके विषय में महेश को जानकारी होगी । इसके द्वारा स्वयं पजेशन नहीं लिया गया है और हमको बिना वजह परेशान कर दबाव बना रहा है।

उपर्युक्त प्रकरण में आवेदक श्री महेश सिंह द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा अपने फॉर्म के माध्यम से जयकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्थित दुकान नंबर 34, 35 व 36 त्रिभुवन कंपलेक्स ईश्वर नगर बहापुर, मथुरा रोड, नई दिल्ली 65 को वर्ष 2012 -13 में बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई किया गया था । जिसकी कीमत कुल लगभग 43,30,000/- रुपए थी । जयकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर जितेंद्र मित्तल, उमेश मिश्रा आदि के साथ भुगतान का पैसा देने की बात कही गई तो इनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास अभी पैसा तो नहीं है, लेकिन आप हमारे ड्रीमलैंड प्रोजेक्ट में, जो कि डूंडाहेड़ा में चल रहा है । उसमें आप फ्लैट ले सकते हो । इस बात के बाद फ्लैट नंबर 1212 साइज 2090 वर्ग फीट स्थित 12वे तल की बात तय हुई । अगर आप सहमत हो तो मैं इस फ्लैट को आपके नाम एग्रीमेंट कर देता हूं । 03 वर्ष बाद इसका पजेशन होगा तब बैंक का लोन क्लियर कर हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे । आपको अपने 43,30,000/- के अलावा कोई राशी नहीं देनी है । इस समस्त बातों का हम दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 27.05.2012 को एग्रीमेंट हुआ । उसके कुछ दिनों बाद उस एग्रीमेंट के समय पर जितेंद्र मित्तल द्वारा पालन न करने के कारण इसी से संबंधित एक एग्रीमेंट पुनः दिनांक 04.06.2014 में हुआ, परंतु इसका भी पालन नहीं किया गया तथा मुझसे कुछ दिनों बाद जितेंद्र द्वारा यह कहा गया कि अब आपको फ्लैट दे रहे हैं आप हमको ₹18,00,000/- रुपए दे दे । इसकी बातों में आकर मेरे द्वारा इसको ₹18,00,000/- रुपए भी बैंक के माध्यम से दे दिए गए हैं, बैंक स्टेटमेंट संलग्न है । इसके बाद में इसके पास पुनः फ्लैट लेने गया तो इसने हम को पुनः तीसरा एग्रीमेंट 22.05.2019 को दिया गया । कुछ दिनों बाद मुझे जानकारी हुई कि इस फ्लैट को जितेंद्र मित्तल, मिश्रा द्वारा मिलकर किसी और को ज्यादा पैसों में बेच दिया है । जबकि इनका मेरे से लगातार एग्रीमेंट चल रहा था और यह मुझसे भी बार बार-योजना बनाकर पैसे हड़प रहे थे । महोदय इस जानकारी के बाद मैं जब इसके कार्यालय गया तो वहां इनके द्वारा मुझसे दुर्व्यवहार किया गया और धमकी दी कि यदि तेरे में दम है तो तू फ्लैट लेकर दिखा दे । मेरे द्वारा कहा गया कि यदि फ्लैट नहीं दे सकते हो तो मेरे पैसे वापस कर दो तो इनके द्वारा मुझे अपने बाउंसरो से धक्कामुक्की कर भगा दिया और धमकी दी कि यदि यहां दिखाई दिया तो जान से मार देंगे- । यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री महेश द्वारा दुर्व्यवहार, धमकी आदि संबंधित आरोपों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिस कारण यह आरोप साक्ष्य के अभाव में बलहीन प्रतीत होते हैं ।

उक्त अंकित तथ्यों के संबंध में विपक्षी श्री जितेंद्र मित्तल द्वारा बताया गया कि मैं जयकान लिमिटेड में डायरेक्टर हूं तथा मेरी यह कंपनी कांट्रेक्टर का कार्य करती है । महेश द्वारा मुझे जो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई करता था इसका मेरे साथ लगभग 10 वर्षों से कार्य चल रहा था । यह हमें मटेरियल देता था और हम इसको पैसे देते थे । वर्ष 2011 में मै ड्रीमलैंड प्रमोटर्स क्रॉसिंग रिपब्लिक में कार्य कर रहा था । उस पर कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा था तो ड्रीमलैंड वालों को कुछ पैसा हमें देना था तो ड्रीमलैंड के मालिक पवन बढ़ाना द्वारा हमसे कहा गया कि आप हमारे 04 फ्लैट ले लीजिए । महेश बिल्डर द्वारा जो हमें मैटेरियल सप्लाई किया गया था उसका पैसा 43,30,000/- रुपए था । हमने व महेश के मध्य उक्त फ्लैट में से एक फ्लैट के लिए सहमति हुई 04 फ्लैटो में से एक फ्लैट महेश ले ले और उसका दिए जाने वाला पैसा उसमें एडजस्ट करवा दिया जाएगा । महेश सहमत हो गए और हमारे व महेश के बीच एग्रीमेंट जुलाई 2012 में हुआ । जिसको महेश द्वारा अपने हस्ताक्षर कर उसको स्वयं कैंसिल करा दिया गया । उसके बाद हमारा दूसरा एग्रीमेंट पुनः इसी फ्लैट संख्या 1211 ब्लॉक 12 फ्लोर 12 के संबंध में हुआ । उसमें हम दोनों के मध्य एमओयू बना था । जिसके द्वारा यह फ्लैट महेश के नाम कर दिया गया ।

हम दोनों के मध्य हुआ वर्ष 2014 के एग्रीमेंट में अंकित बिंदु संख्या 07 में चेंज कर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष कर 2019 में अंकित कर दिया है । जिसमें यह उल्लेख या फिर कोई भी मांग बिल्डर के द्वारा की जाती है)किसी भी खाते से रिलेटेडतो उसका भुगतान (द्वितीय पक्ष महेश करेगा 2)014 वाले में(, जबकि 2019 के एग्रीमेंट में इसने इसका उल्टा कर दिया तथा अपने हिसाब से 2014 के एग्रीमेंट में फेरबदल अपने हिसाब से 2019 में एग्रीमेंट बना लिया गया । जिस पर जितेंद्र मित्तल के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि इसके द्वारा स्वयं सेटिंग करके एग्रीमेंट के आगे के पेज हटाकर पीछे वाला अंतिम प्रष्ठ बने रहने दिया है । वर्ष 2015 के बाद हमने इसको खुद पूर्व में दिए गए मटेरियल के हिसाब से 25,00,000/- रुपए दिए गए थे । प्राप्त एग्रीमेंटबैंक डिटेल के अवलोकन से विपक्षी जितेंद्र / मित्तल द्वारा बताए गए इस तथ्य की पुष्टि होती हैं कि वर्ष2014 व वर्ष 2019 के एग्रीमेंट में अंकित बिंदु संख्या 07 में फेरबदल है व वर्ष 2019 के पूर्ण एग्रीमेंट पर जितेंद्र मित्तल के हस्ताक्षर ना होकर मात्र अंतिम पर हस्ताक्षर है ।

<u>सुनवाई के दौरान प्राप्त तथ्य एवं बयान:-</u>

आवेदक श्री महेश सिंह द्वारा कथन किया गया कि मेरे 43,30,000/- रूपये भी नहीं मिले, फ्लैट किसी अन्य को बेच दिया गया और मेरे अट्ठारह लाख रुपए ओर हड़प लिए तथा फिर मेरे साथ गाली गलौज भी की और बाउंसरो से पिटवाया भी | यह मेरी जीवन भर की कमाई थी | मुझे न्याय दिलाया जाये |

<u>निष्कर्ष :-</u>

उक्त प्रकरण में पक्षों को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किये गये पत्रों का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा कथित 43,30,000/- रूपये दिए गए जिसे श्री जितेन्द्र मित्तल द्वारा भी अपने बयानों में अवगत कराया गया, जिससे विश्वास का आपराधिक हनन, आपराधिक धमकी देना, छल करना अथवा

बेईमानी से बहुमूल्य वस्तुसंपत्ति में परिवर्तन करने / इत्यादि अपराधो का लोप होना प्रतीत होता है | प्रकरण सिविल व क्रिमिनल (आपराधिक) दोनों प्रकृति का प्रतीत होने पर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त जाँच करना न्यायोचित होगा | उक्त शिकायत के निस्तारण के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर गाजियाबाद, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय गाजियाबाद व विशेष कार्य अधिकारी (PCS) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त जाँच कराया जाना अपेक्षित है | उक्त प्रकरण के निस्तारण में आयोग द्वारा आपेक्षित साक्ष्यो सहित आख्या 15 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग